# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

## लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 73/2016

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीः-

जोगाराम,जीवाराम पि. कुपाराम कौम राईका राजस्थान सरकार तहसीलदार

**राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955**
**तारीख रजूः 15/06/2016**

उपस्थितः. वादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 15/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत सुमेर पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सुमेर के जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 39 में वादी का नाम जोगाराम,जीवाराम पि. कुपाराम कौम कुम्हार दर्ज हो गया जो कि गलत रूप से दर्ज है अतः इसे जोगाराम,जीवाराम पि. कूपाराम कौम राईका दुरस्त करने हेतू वादी द्वारा वाद मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया गया।

पटवारी हल्का देसूरी व भू.अ.नि देसूरी की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार पर वादी नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रेय विलेख अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादीगणो की जाति राईका है जो सामिल मिसल किया जावे एवं वादीगणो के बयान के आधार पर उनके द्वारा उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 08/06/2009 पु.स. 01 पृ.सं. 13 क्र.स. 2008003579 जीवराम पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार से खरीदना बताया। अतःवादी नाम दुरस्त किया जाकर वादपत्र डिक्री करना उचित समझता हूँ।

## -:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सुमेर के जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 39 में वादी का नाम जोगाराम,जीवाराम पि. कुपाराम कौम कुम्हार दर्ज हो गया जो कि गलत रूप से दर्ज है अतः इसे जोगाराम,जीवाराम पि. कूपाराम कौम राईका दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला पाली (राज0)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली))

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र सुमेर में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला पाली (राज0)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली))